संख्या–वे0आ0–2–510 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 19 जुलाई, 2013

विषयः वेतन समिति (2008) के के दसवें प्रतिवेदन (भाग–6) में वित्त विभाग के अन्तर्गत आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या–वे0आ0–2–2022 / दस–54(एम) 2008टी0 सी0, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 द्वारा संसूचित निर्णय के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2011 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–2 के दूसरे वाक्य को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :—

" साथ ही विभाग का नाम आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय रखा जाय।"

2– उपर्युक्त पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–510(1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।

July-2013